न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–474/2016/223 (2016/000474)

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल, जाति जाट, निवासी सराना, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. इन्द्रा पुत्री गोपाल, जाति जाट, निवासी सराना, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. किशन पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, नि0 सराना, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. ब्रह्मप्रकाश पुत्र शिवराज, जाति जाट, निवासी सराना, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. गोपाल पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी सराना, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 12.1.2016 अंतर्गत वाद संख्या 86/2011.

उपस्थितः–

1. श्री वैभवकृष्ण पारीक, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
4. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4 .

निर्णय

दिनांकः– 15.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्यायाा0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92–ए व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सराना, तहसील सरवाड़ के जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या नया 820 पुराना 745 में आराजी खसरा नंबर 1110 रकबा 3–17–00 बीघा, खसरा नंबर 2963 रकबा 2–10–00 बीघा एवं खसरा नंबर 884 रकता 11–5–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 17–12–00 बीघा आराजियात दर्ज है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा तथा यह संयुक्त हिन्दू

परिवार है । प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का पिता व वादी संख्या 2 का दादा है । विवादित आराजियात वादीगण की पैतृक है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 व 2 के पिता शिवराज व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य पारिवारिक विभाजन आज से लगभग 25–30 वर्ष पूर्व कर दिया था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध है । पारिवारिक विभाजन के पश्चात् से उपरोक्त आराजियात में पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । वादी संख्या 2 के पिता की मृत्यु होने से उनके हक हिस्से की भूमि पर वादी संख्या 2 उनकी मृत्यु उपरांत निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । वाद वर्णित आराजियात संयुक्त हिन्दू परिवार की है । इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को अकेले को वाद वर्णित आराजियात को किसी भी कानून व नियम के तहत दीगर को रहन, बेचान, हस्तातंरित करने का कोई अधिकार नहीं है, न हो सकता है । क्योंकि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का जन्म से ही हक, हिस्सा व अधिकार निहित है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की नियत बद हो गई है एवं वे वादीगण को उसके हिस्से की वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने व उससे वंचित करने के दुराशय से उन्होंने दिनांक 8.3.2010 को सांठ–गांठ कर व प्रतिवादी संख्या 1 जो वृद्ध है एवं मानसिक स्थिति कमजोर है को बहला फुसलाकर प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम एक अवैध दानपत्र निष्पादित करवा लिया जिसका सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 8.3.2010 को पंजीयन भी करवा लिया । उक्त तथ्य की वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.4.2011 को हुई जब वादीगण पटवारी हल्का के पास उक्त भूमि की नकल लेने के लिए गऐ । प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि को उक्त स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम हस्तातंरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है एवं न ही हो सकता है । उक्त कार्यवाही अवैध एवं नाजायज है एवं कथित दानपत्र प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को वादवर्णित आराजियात का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.2016 द्वारा वाद स्वीकार कर डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात ग्राम पंचायत सराणा द्वारा जारी विधिक वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 28.7. 2018, स्व0 सूरजकरण पुत्र स्व0 जगन्नाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.6.2013 की प्रतियां पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त दस्तावेजात सुसंगत है तथा अपील में अंकित अभिवचनों के निस्तारण हेतु आवश्यक साक्ष्य होने से रिकार्ड पर लिया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि वादीगण ने उक्त दस्तावेजात अधी0न्याया0 के समक्ष क्यो पेश नहीं किये इस संबंध में कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उपरोक्त दस्तावेजात प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेजात है तथा प्रकरण को निर्णित करने में सहायक दस्तावेजात है । अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम

27 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 में वादी/रेस्पो0 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया था उनके संबंध में सभ्झी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किए थे तथा इनके अभाव में वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों का निर्धारण किया है उन तथ्यों का निर्धारण करने में अधी0न्याया0 सक्षम नहीं थी । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों को आधार मानकर विवादित निर्णय पारित किया है वह सभी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात का निर्माण नहीं किया तथा अधी0न्याया0 ने कानून में प्राविधित प्रावधानों के अनुसार तनकियों का निर्माण नहीं किया है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया और न ही कोई नोटिस अपीलांटस पर तामील हुआ था जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपीलांटस को सुना जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार सूरजकरण पुत्र जगन्नाथा था जिसने विवादित खसरा नंबर 884 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1110 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2963 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा अपीलांट की माता श्रीमती भगवती पत्नि गोपाल पुत्रवधु सूरजकरण को दान में दी थी। यह दान पत्र दिनांक 8.3.2010 को निष्पादित कर पंजीकृत किया गया था जिसके आधार पर अपीलांट की माता भगवती देवी का हक एवं अधिकार निहित था । खातेदार सूरजकरण ने अपीलांट की माता भगवती देवी के पक्ष में पंजीकृत दानपत्र दिनांक 8.3.2010 को निष्पादित किया था । इस पंजीकृत दानपत्र कमो वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया था इसलिये विवादित भूमि से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कोई हक व अधिकार नहीं है । दानपत्र सही है अथवा गलत इसके निर्धारण का अधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था । अपीलांटस की माता के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत दानपत्र के अनुसार नामांतकरण संख्या 1510 दिनांक 20.1.2011 को अपीलांटस की माता भगवती देवी के नाम तस्दीक किया गया था तथा अपीलांटस की माता की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 1757 दिनांक 4.2.2013 को उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया था जिसके आधार पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है । इसलिये विवादित भूमि के संबंध में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य था । बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मियाद बाहर था जिसे अधी0न्याया0 ने डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.2016 की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी । अधी0न्याया0

द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया ओर न ही कोई नोटिस प्रार्थीगण पर तामील हुआ था । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.10.2016 को पटवारी हल्का से हुई तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने सरवाड़ जाकर निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

9. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में एवं रेस्पो0 संख्या 2 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आरायिजात कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 123 बिस्वा के खातेदार काश्तकार जगन्नाथ पुत्र हरलाल जाति जाट थे । उक्त खातेदार का स्वर्गवास होने पर विरासत नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट मृतक के नाम विरासत तस्दीक हुई जो ग्राम सराना की चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 प्रदर्श–2 लगायत 7 से सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजियात आराजियात वादीगण व प्रवितादी संख्या 2 गोपाल पुत्र सूरजकरण की पैतृक आराजियात होकर रेस्पो0 स्व0 सूरजकरण के विधिक वारिवान का वादग्रस्त आराजियात में जन्म से अधिकार निहित होकर बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने उक्त विधिक स्थिति को मध्यनजर रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि खातेदार सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ के नाम विरासत का अंकन होते समय तथा जगन्नाथ के जीवनकाल में रेस्पो0 श्रीकिशन पुत्र सूरजकरण, स्व0 शिवराज पुत्र सूरजकरण तथा गोपाल पुत्र सूरजकरण का जन्म हो चुका था । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा सूरजकरण तथा प्रत्येक पुत्र का निहित हो चुका था । ऐसी स्थिति में स्व0 सूरजकरण द्वारा अपीलांटस की माता स्व0 भगवती पत्नि गोपाल के हक में किया गया दान पत्र दिनांक 8.3.2010 वादीगण/रेस्पो0 के हक व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर था । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 1971 राज0 पेज 164, डी0एन0जे0 पार्ट–2 राज0 पेज 441, आर0आर0डी0 1982 पेज 299, आर0आर0डी0 1982 पेज 664 पेश किये । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांटस की माता का स्वर्गवास होने पर परीक्षण न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 दिनांक 16.9.2013 को मय नोटिस तलवाना पेश किया गया था जिसके सम्मन अपीलांटस के भाई कुलदीप पुत्र गोपाल को तामील हुए है जो अपीलांटस का पारिवारिक सदस्य होकर भाई है । जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत जारी विधिक वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 28.7.2018 से होती है । इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में उपस्थित नही होने पर अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 5.6.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सराना 2015 में राज्य सरकार से जवाबदावा तलब कर आवश्यक वाद बिन्दू कायम कर प्रत्येक तनकी पर विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात को सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ की स्वअर्जित सम्पति होने का कथन कर उक्त अपील पेश की है जबकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत 9 से स्वंय सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजियात जगन्नाथ पुत्र हरलाल के स्वर्गवास के बाद सूरजकरण को विरासत से प्राप्त होकर रेस्पो0 के लिए विवादित आराजी पैतृक सम्पति है । अपीलांटस द्वारा उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के खण्डन

में अपील के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलाधीन भूमियां स्वअर्जित सम्पति हो । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वाद प्रस्तुत कथन किया गया था कि विवादित आराजियात पैतृक आराजियात है जिसमें वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का भी जन्म से हक, अधिकार निहित है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नि पत्नि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दान पत्र करने का विधिक अधिकार नहीं था ।

12. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने वाद में दादरसी सहित 4 तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी कि '' आया वादग्रस्त जमाबंदी संवत् 2065–2068 वाकै ग्राम सराना जगन्नाथ पि0 हरलाल जाट की पुश्तैनी है । सूरजकरण की स्वअर्जित नहीं होने से खाता संख्या नया–पुराना 820–745 की भूमि दान करने का हक नहीं है ? ''

13. उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष पी0डब्ल्यू0 1 वादी संख्या 2 स्वंय के बयान तथा पी0डब्ल्यू0 2 गवाह रतनलाल के बयान कराये है । पी0डब्ल्यू0 2 रतनलाल ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि सूरजकरण के तीतन पुत्र क्रमशः गोपाल, शिवराज व किशन है, जिनमें गोपाल, किशन जीवित है तथा शिवराज की मृत्यु हो चुकी है । श्रीमती भगवती गोपाल की पत्नि थी तथा सूरजकरण की पुत्रवधु है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। सूरजमकरण के द्वारा श्रीमती भगवती के पक्ष में करवाया गया दानपत्र गलत है । वास्तव में सूरजकरण की जमीन में 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होना चाहिये था । इसी प्रकार वादी/रेस्पो0 ने एक्जी0 2, 3 व 4 जमाबंदी, एक्जी0 8 मिलान क्षैत्रफल पेश किये है । जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण के पिता जगन्नाथ की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की थी । प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण, जगन्नाथ पुत्र हरलाल का पुत्र होने के कारण ही उसका विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है तथा सूरजकरण विरासत के आधार पर ही विवादित आराजी ममें अपना हक अधिकार रखता था । वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण के पुत्र तथा पौत्र है तथा सूरजकरण की भूमि जो उसे विरासतन प्राप्त हुई है, का जन्म से हक अधिकार रखते है । प्रतिवादी संख्या 1 को वादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से का दान करने का विधिक अधिकार नहीं था । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजियात साबिक राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जगन्नाथ वल्द हरलाल की खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की भूमि थी । जगन्नाथ वल्द हरलाल का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण है तथा उसी की विरासत से वादवर्णित आराजी सूरजकरण के खाते में दर्ज हुई है । वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण के वारिस होने से उनका पुश्तैनी आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार जन्म से हक व अधिकार है ।

प्रतिवादी संख्या 1 सूरजकरण को अपने हक हिस्से की आराजियात को दान करने का अधिकार था न कि संपूर्ण आराजियात को । विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 के हक व अधिकार तक दान करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं होना माना है । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निष्कर्ष विधिसम्मत् होने से उक्त तनकी का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

14. तनकी संख्या 2 यह कायम की गई थी कि '' आया वादीगण विवादित दानपत्र को बेअसर करने व हिस्सेनुसार खातेदारी घोषित करवाने एवं वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक रखते है ?''

15. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । वादीगण/रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भली–भांति साबित किया है कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिसमें वादीगण/रेस्पो0 का जन्म से हक व अधिकार है । तनकी संख्या 1 के अनुसार वादीगण/रेस्पो0 विवादित आराजियात में खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकार रखने से उनके हिस्से के संबंध में किया गया दान पत्र भी प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है तथा अपने हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 2 के संबंध में पारित निर्णय भी विधिसम्मत् है ।

16. तनकी संख्या 3 को अपीलांटस/प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे है । अपीलांटस ने वादग्रस्त आराजियात को स्वअर्जित साबित करने के संबंध में हाजा न्यायालय के समक्ष भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात सूरजकरण की स्वअर्जित आराजियात हो । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं समझते है ।

17. उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में संपूर्ण आरायिजात बाबत् दान पत्र निष्पादित करने का विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

18. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.1.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर